



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239325
CG-DL-E-04102022-239325

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4462]
No. 4462]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4670(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों और उससे सम्बंधित विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ;

और इम्तियाज अहमद कांडू @ सजद @ फयाज़ सोपोर पुत्र अब्दुल खालिक कांडू, निवासी कालतांग, सोपोर, जम्मू-कश्मीर, जो इस समय पाकिस्तान में रहता है, आतंकवादी संगठन हिज्बुल-मुजाहिदीन का एक सदस्य है ;

और हिज्बुल-मुजाहिदीन को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 8 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और उक्त इम्तियाज अहमद कांडू आतंकवादियों के लिए वित्त का प्रबंध करने, आतंकवादियों को आयुधों और गोलाबारूद की पूर्ति करने तथा स्वापक पदार्थों की तस्करी में सम्मिलित रहा है ;

और उक्त इम्तियाज अहमद कांडू सुरक्षाबलों और नागरिकों पर आक्रमणों का समन्वयन करता रहा है जिसमें सुरक्षाबलों के अनेक कार्मिक और नागरिक मारे गए;

और उक्त इम्तियाज अहमद कांडू कश्मीर घाटी में आतंकवादी रैंको में सम्मिलित होने के लिए युवाओं को कट्टर बनाने और उन्हें दुष्प्रेरित करने में सम्मिलित रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि इम्तियाज अहमद कांडू @ सजद @ फयाज़ सोपोर आतंकवाद में सम्मिलित है और उक्त इम्तियाज अहमद कांडू @ सजद @ फयाज़ सोपोर को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 38 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“39. इम्तियाज अहमद कांडू @ सजद @ फयाज़ सोपोर” ।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-1]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1876(अ) तारीख 19 अप्रैल, 2022 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 4670(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Imtiyaz Ahmad Kandoo @ Sajad @ Fayaz Sopore son of Abdul Khaliq Kandoo, resident of Kraltang, Sopore, Jammu and Kashmir, presently based in Pakistan, is one of the members of the terror outfit Hizb-UI- Mujahideen;

And whereas, Hizb-UI- Mujahideen is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No. 8;

And whereas, the said Imtiyaz Ahmad Kandoo has been involved in managing finances for the terrorists, supply of arms and ammunition to terrorists and narcotics smuggling;

And whereas, the said Imtiyaz Ahmad Kandoo has been coordinating attacks on security forces and civilians, in which many security forces personnel and civilians were killed;

And whereas, the said Imtiyaz Ahmad Kandoo has been involved in radicalizing and motivating youths to join terrorist ranks to carry out terror activities in the Kashmir Valley;

And whereas, the Central Government believes that Imtiyaz Ahmad Kandoo @ Sajad @ Fayaz Sopore is involved in terrorism and the said Imtiyaz Ahmad Kandoo @ Sajad @ Fayaz Sopore is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 38 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“39. Imtiyaz Ahmad Kandoo @ Sajad @ Fayaz Sopore”.

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O. 1876(E), dated the 19th April, 2022.